न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-557 RAAJodhpur2024-256RTA225 Anopsingh Vs Bagatawarsingh etc

अनोपसिंह पुत्र अभयसिंह जाति राजपूत, निवासी- बड़ला बासनी, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. बगतावर सिंह पुत्र फतेहसिंह, जाति राजपूत, निवासी- बड़ला बासनी, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी, जिला जोपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 24 सितंबर 2024 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, औसियां राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 29/2024 बगतावरसिंह बनाम अनोपसिंह इत्यादि

उपस्थित-
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री राजेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 13 जनवरी 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 29/2024 बगतावरसिंह बनाम अनोपसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 24 दिसंबर 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नं. 35/1 रकबा 1.6511 हैक्टेयर ग्राम बडला बासनी तहसील तिंवरी में आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नं. 35 में सें 20 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 सितंबर 2024 के जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, जिसकी पुष्टि मौका रिपोर्ट से होती है। मात्र रेस्पोडेंट संख्या एक की सुविधा के लिए नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है। अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर खसरा नं. 34 में सें रास्ता उपलब्ध है, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर ही नहीं किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट भी अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार की गई होने से कानूनन मानने योग्य नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि खसरा नं. 35 एवं उसके बट्टा नंबरान के लिए पूर्व से ही एक रास्ता मौजूद है, इसलिए नया रास्ता नही दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 सितंबर 2024 को अपास्त फरमाया जावे।

संजय अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के अलावा मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अपीलांट्स द्वारा बताया गया रास्ता अत्यधिक दूरी का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिनुसार प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया है। रेस्पोडेंट की ओर से रास्ते की प्रतिकर राशि भी जमा करवा दी गई है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। मामले के गुणावगुण पर अवलोकन मुताबिक मौका फर्द से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता पाया जाता है तथा रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर अन्य कोई लघुतम एवं निकटतम रास्ता नहीं है। मौका फर्द में उक्त रास्ते की दूरी 387 फीट बतायी गई है।

अपीलांट का उज्र है रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर खसरा नं. 34 में से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। इस संबंध में मौका फर्द के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त रास्ते लंबाई 1470 फीट बतायी गई है जो अपीलाधीन रास्ते की लगभग तीन गुणा से अधिक है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का उक्त उज्र मानने योग्य नहीं है।

विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशानुरूप निकटतम एवं लघुतम अपीलाधीन रास्ते का आदेश पारित किया जाना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 सितंबर 2024 यथावत रखा जाता है

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर